एफ.आई.आर. पर एफ.आर. एफ.आर. फिर एफ.आर., आखिर माजरा क्या है ?

निति अनुसार एक अपराधिक मामले की जांच के लिए तीन बार जांच अधिकारी बदला जा सकता है। परन्तु, नवीन चौधरी की एफ.आई.आर की जांच में आखिर कब तक जांच अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सीकर रोड, गिरधर कॉलोनी के निवासी, नवीन चौधरी, द्वारा एक जमीन के विवाद पर 13 जुलाई 2023 को मुरलीपुरा थाना, जयपुर, में कराई गई एफ.आई.आर. का मामला, किसी भी अन्य जमीनी विवाद में संबंधित एफ.आई.आर. से ज्यादा रोचक साबित हो रहा है। नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. संख्या 365 पब्लिक 2023 का मामला रोचक इसलिए है कि इस मामले में पिछले ढाई वर्ष से तीन जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें से पहले जांच अधिकारी का रिपोर्ट में स्पष्ट कहना था, कि दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में मामले को केवल सिविल स्वरूप का बताया गया और मामले पर एफ.आर. लगा दी गई। इसके बाद एक अन्य जांच अधिकारी ने इस मामले में आपराधिक मामला होने व उसकी जांच होने की पुष्टि करें, परंतु जांच अधिकारी का तबादला हुआ और मामले की जांच पर एफ.आर. लगा दी गई। तत्पश्चात एक तीसरी जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच करी और इसे सिविल स्वरूप का बताया और किसी आपराधिक तत्व नहीं पाए जाने के कारण मामलें में पुनह एफ.आर. लगाई।

- नवीन चौधरी की एफ.आई आर सीकर रोड़ पर बनी गिरधर कॉलोनी के प्लॉट नम्बर विवाद से सम्बन्धीत है।
- हैरानी की बात है कि जेडीए के आदेश अनुसार स्वयं नवीन चौधर ही उक्त जमीन के कब्जा धारी है और रिहायशी जमीन पर अवैध तरीके से शादी का हॉल और भोजनालय चला रहे है।

गौर फरमाने योग्य है कि इस मामलें में तीन बार एफ.आर. लगने के बाद शिकायतकर्ता नवीन चौधरी ने पुलिस प्रशासन की दया दृष्टि पाते हुए इस एफ.आई.आर. की जांच के लिए चौथी बार एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कराए जाने और एफ.आर. हटाने में सफलता प्राप्त की।

परंतु सवाल यह है कि एक मामले की जांच कितने जांच अधिकारी कर सकते हैं और क्या तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन मामले को पुन खोलने और जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के गृह विभाग में 1 जनवरी 2019 को एक नीति जारी करी थी, इस नीति में स्पष्ट लिखा है, कि "एक प्रकरण में किसी भी परिस्थिति में समस्त अधिकारियों द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकेगा।" इस नीति में आगे लिखा है कि "उक्त तीन अनुसंधान अधिकारियों की गणना में प्रथम अनुसंधान अधिकारी की भी गणना की जाएगी।"

राज्य सरकार द्वारा इस नीति का गठन किया जाना तर्कसंगत और लाज़मी इसलिए भी लगता है कि एक एफ.आई.आर. की जांच अनंत समय और अनगिनत जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती है, परंतु नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. के मामले में इस स्पष्ट नीति का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है।

क्या शिकायतकर्ता की मनमर्जी की रिपोर्ट ही इस फिर की जांच को पूर्ण कर सकती है? क्योंकि तीन बार इस मामले में जांच के बाद फर लग चुकी है और एफ.आर. में दर्ज आरोप सिद्ध करने के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस मामले का सबसे रोचक तथ्य यह है, कि जिस जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

वह जमीन सीकर रोड, पर गिरधर कॉलोनी का प्लॉट नंबर चार है और इस रिहाई सी प्लॉट पर स्वयं जेडीए ने जांच कर पाया है, कि नवीन चौधरी ही बिना अनुमति एवं स्वीकृति के करीब 2300 वर्ग गज में एक चार बाग के नाम से रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल का अवैध निर्माण कर व्यावसायिक संचालन कर रहे हैं। जीडीए ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि, यह निर्माण बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन होने के अलावा अवैध में अनाधिकृत है और इस प्लॉट पर स्वयं नवीन चौधरी का ही कब्जा हैं।

दरअसल इस जमीन को नवीन चौधरी ने श्रीनाथ कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर रिहायशी कॉम्पलेक्स बनाने का अनुबंध किया था, इस अनुबंध के अनुसार डेवलपर द्वारा रिहायशी कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु रकम मुहैया कराई जा रही थी और जमीन देने के आवाज में नवीन चौधरी को रिहायशी परिसर में फ्लैट मिल रहे थे। दोनों डेवलपर और नवीन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी का भी गठन किया था, जो निर्माण कार्य को पूर्ण करती।

परंतु नवीन चौधरी द्वारा ही जमीन का कब्जा नहीं कंपनी को नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की मदद से इस मामले में वर्ष 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। जिसमें तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुन जांच अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

छात्रों से मारपीट करने वाले छह जने गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं एक नाबालिग को बाल सुधार को निरूद्ध कर गृह भेजा गया है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद पांचों युवकों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर ट्रेस कर पहचान के बाद पकड़ा।

शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हेमंत मीणा निवासी अलवर,सुमित शर्मा निवासी अलवर मनीष कुमार मीणा निवासी अलवर,सौरभ मीणा उर्फ गोलू मीणा निवासी दौसा और जयशिव सैनी निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है और एक एक बाल अपचारी निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं पांचों जयपुर में पीजी में कमरा लेकर रहते।

मारपीट की घटना 20 सितंबर की थी। टैगोर कॉलेज में पढ़ने वाले भावेंद्र कुमार (22) निवासी बाड़मेर ने मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने दोस्त विनोद के साथ बाइक पर अपने कमरे से जा रहा था। टैगोर स्कूल के सामने 4-5 लोगों ने बाइक रुकवाकर अचानक से लाठी और सरिया से मारपीट करना शुरू कर दिया।

आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी के सामने पति की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि करधनी थाना इलाके में सरना डूंगर रीको एरिया (मेटल फैक्ट्री) में काम करने वाले रवि कुमार की बीस सितंबर को दो मजदुरो ने चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुसि ने हरिशंकर कुशवाह(20) निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) हाल करधनी को गिरफ्तार किया गया हैं और वहीं एक अन्य आरोपित आशीष निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) की तलाश की जा रही है इस मामले रवि कुमार की पत्नी निर्मला ने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था कि वह रवि निवासी गांव कानसिंहपुरा जिला झुंझुनूं के साथ छह साल से लिव इन में रह रही हैं। तीन साल से रवि मेटल कंपनी में काम कर रहे था।

डाक विभाग भर्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले गिरफ्तार

फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर। भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। जहां अलवर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब डाक विभाग की आंतरिक जांच में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साल 2022 में हुई भर्ती प्रक्रिया में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के बाद जब डाक विभाग ने सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच करवाई तो हितेश कुमार, साहिल, मनीषा नैना, शैलेन्द्र कुमार और पिंटू कुमार जैसे कुछ लोगों ने तमिलनाडु के चेन्नई बोर्ड की जाली मार्कशीट जमा करने का पता चला।

इस मामले में पहले हितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार निवासी मुड़िया खेड़ा, खैरथल-तिजारा को भी गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि उसने यह फर्जी मार्कशीट अपने दोस्त संदीप यादव के माध्यम से प्राप्त की थी। संदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप ने स्वीकार किया कि उसने एक कोचिंग सेंटर के संचालक से अपने और शैलेन्द्र के लिए फर्जी अंकतालिकाएं बनवाई थीं।

उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ देखी मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री

ायपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अ्उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ देखी मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री ाज कच्ची बस्ती के बच्चो के साथ आत्मीय भाव के साथ मुलाक़ात की। दिया कुमारी को अपने पास देखकर कच्ची बस्ती के बच्चो के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्राइटन माल में बच्ची के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी देखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर बनी डॉक्यूमेंट्री में संदेश दिया की अगर हम अपने जीवन को दूसरी की ख़ुशी के लिए समर्पित करते है तो उसका कितना अच्छा परिणाम निकल कर आता है। बच्चो ने भी डॉक्यूमेंट्री देखकर इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन से जुड़ी यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इसमें जो संदेश दिया गया है-दूसरों की खुशी के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सुख है-उसे हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और प्रदेश के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।और हम सबको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए।

स्वास्थ्य शिविरों में 37 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देशभर में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान से लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान प्रतिबद्धता के साथ संचालित कर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेश में अब तक 37 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि आमजन को अपने नजदीकी स्थान पर सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने एवं विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग कर उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, ताकि हमारी माताएं-बहनें स्वस्थ रहें और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। राजस्थान इस अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासनर सचिव राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत राजस्थान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

फूड सेफ्टी टीम ने किया 884 लीटर नकली घी सीज

जयपुर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सीएमएचओ जयपुर प्रथम की फूड सेफ्टी टीम ने चांदपोल बाज़ार स्थित अग्रवाल रोड लाइंस पर कार्यवाही कर 884 लीटर नकली घी सरस, कृष्णा, लोटस, गोरस ब्रांड सीज किया। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि इस फर्म का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि पैकिंग पर संदेह होने पर समस्त स्टॉक चेक करने पर सरस, लोटस,कृष्णा,गोरस के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया गया। जिसमे सरस, कृष्णा, लोटस और गोरस घी के प्रतिनिधियों ने मौके पर उपस्थित हुए और अपने घी उत्पादों को मौके पर नकली होना बताया। टीम ने मौके से उक्त सभी घी कंपनियों के छह नमूने घी के लिए और मिलावट के संदेह में 884 लीटर घी सीज किया। ज्ञात हुआ कि यह घी नावा, कुचामन, परबतसर, मकराना और अन्य स्थानों पर बिकवाली के लिए जाता था नमूनों की लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सख्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल शामिल रहे। मौके पर अग्रवाल रोड लाइंस के मालिक अरुण कुमार जैन ने उक्त माल कहां से किस पार्टी द्वारा आगे भिजवाया जाना है की जानकारी नहीं होने बाबत अवगत करवाया।

'निशुल्क यूनिफॉर्म योजना में ओ.बी.सी. व ई.डब्लू.एस. छात्राओं को पुन: शामिल करे'

जयपुर। आल इंडिया ओ बी सी कांग्रेस नेता एवं स्टेट ओ बी सी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य राजेन्द्र सेन ने राजस्थान सरकार द्वारा पहली से 8वीं तक के सामान्य-ओबीसी के 15 लाख छात्र और 9 से 12वीं तक की 12 लाख छात्राएं को निशुल्क यूनिफार्म योजना से बाहर करने का विरोध करते हुए सरकार को चेताया है कि गरीब और ओ बी सी समाजो की छात्राओं को निधुल्क यूनिफार्म योजना के तहत निशुल्क यूनिफार्म देना जारी रखे वरना आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इन छात्राओं के द्वारा घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी विरोध दर्ज कराया जायेगा

सेन ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में लगातार कटौती कर रहा है।

मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर उपमुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी

जयपुर । राजस्थान की वीर भूमि के अमर सपूत हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्थित रावना राजपूत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मेजर दलपत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा,"मेजर दलपत सिंह का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने इजराइल के हाइफा शहर को आजादी दिलाकर भारत ही नहीं, बल्कि राजस्थान का नाम भी वैश्विक मानचित्र पर गौरवान्वित किया है।" उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार शहीदों और महापुरुषों के सम्मान में कई योजनाएं चला रही है। इन प्रयासों से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और इतिहास के प्रति सम्मान लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह स्मृति शिक्षण संस्थान का भी अनावरण किया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ेगा। कार्यक्रम में महिलाओं ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत51 किलो की फूलों की मालापहनाकर किया। यह सम्मान समाज की ओर से उनके योगदान और प्रयासों के लिए था।दिया कुमारी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम में संयोजकरणजीत सिंह,मोहन सिंह हाथोज,गुमान सिंह जोधा,गिरवर सिंह शेखावत,श्याम सिंह चोहान,महिपाल सिंहसहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अग्रसेन जयंती शोभायात्रा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत:- अग्रसेन जयंती के अवसर पर मंगलवार को सीकर रोड पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव सेवा कार्यों और धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा, चाहे सेवा भवनों का निर्माण हो या शोभायात्राएं, समाज ने हमेशा एकजुटता और सौहार्द का परिचय दिया है।उपमुख्यमंत्री ने भगवान महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद और संतुलित व्यवस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी में रियायतों का उल्लेख करते हुए कहा, इस फेस्टिवल सीजन में जीएसटी को सरल और जनउपयोगी बनाया गया है, जिससे व्यापारियों पर करों का बोझ कम होगा और आम जनता को भी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी।

नौकरी दिलाने के बहाने विवाहिता से दुष्कर्म

जयपुर। बगरू थाना इलाके में नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाकर एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार भांकरोटा की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ समय पहले आरोपित युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। होटल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने का दबाव डाला। 21 सितंबर को बगरू इलाके में स्थित एक होटल में नौकरी दिलाने के बहाने मिलने बुला कर दुष्कर्म किया। होटल से जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पडताल में जुटी है वहीं श्याम नगर थाना इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपित रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज जांच में जुटी है।

मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे : हाईकोर्ट

- अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित यूजीसी से पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और यूजीसी सहित सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है।

जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुजीत स्वामी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अमित दाधीच ने अदालत को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार साल 2015 से 2023 तक कोटा, बारां और झालावाड में 12 से तीस साल के 1799 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं 2021 से गत मार्च माह तक दस से तीस साल की उम्र के सीकर में 464, जयपुर दक्षिण में 172 और जोधपुर पूर्व में 187 सहित अन्य जगहों में दर्जनों लोगों ने आत्महत्या की है।

इसके अलावा एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सात फीसदी से अधिक आत्महत्या छात्रों से संबंधित है। वहीं 2 फीसदी से अधिक किशोर अपराध दर भावनात्मक तनाव से जुडी है। याचिका में कहा गया कि शैक्षिणक संस्थानों में न तो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया है। जबकि यदि शैक्षिणक संस्थानों में ही विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से निपटने के लिए तैयार किया जाए तो आत्महत्याओं पर काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

याचिका में गुहार की गई है कि सभी शैक्षिणक संस्थानों में अगले छह माह में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाए। वहीं आयु और कक्षा अनुसार मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम भी लागू किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है।

गहलोत महसूस कर रहे है राजनीतिक असुरक्षा, भूल गए विपक्ष का धर्म : सतीश पूनिया

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के बयान पर तिखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत राजनीतिक असुरक्षा महसूस कर रहे है और विपक्ष की भूमिका सही तौर पर नहीं निभा पा रहे। सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। विपक्ष में रहने के बावजूद गहलोत एक आंदोलन तक नहीं कर पाएं, अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कॉचिंग की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। पूनिया ने कहा कि गहलोत अब बे-सिर पैर की बातें कर रहे है। इतने बड़े राजनीतिक कद वाले व्यक्ति अगर बे-सिर पैर की बातें करते है तो समझ से परे है। आखिर गहलोत क्या करना चाहते है यह समझ से परे है, वे विपक्ष का धर्म तक भूल गए है। उनकी बातों से ऐसा प्रतित होता है कि गहलोत एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की बात सहन नहीं कर पा रहे। गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना फंडामेंटल राइट्स समझते है।

- गहलोत सहन नहीं कर पा रहे सामान्य परिवार के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर समझते है फंडामेंटल राइट्स : सतीश पूनिया

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की।

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत ने आज अपने कालखंड को याद दिला दिया, गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान महिला अपराध, दुष्कर्म, बच्चों की तस्करी, पेपरलीक में देश में नंबर वन था। गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में रोज 17 दुष्कर्म की वारदात हो रही थी, 8 हत्याएं रोज हो रही थी, 2018 से लेकर 2023 तक कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। इन्होंने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। कोरोनाकाल में जहां रोज 162 मौतें हो रही थी, इनकी सरकार बाड़े में बंद थी, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करवाने वाले गहलोत की प्रेसवार्ता सिर्फ दिखावटी थी, हकीकत तो वे अपने ही नेताओं को उजागर कर रहे थे। गहलोत घूम फिरकर 2020 में चले जाते है। राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपरलीक जैसे मामलों के चलते गहलोत जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था।

पूनिया ने कहा कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि काम कुछ करना नहीं और अखबारों की सुर्खियों में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी करते है। कांग्रेस पार्टी की फितरत है कि सत्ता से बाहर होने पर उनको कुछ समझ नहीं आता।उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले गहलोत भूल गए कि यह अपराध गहलोत के कार्यकाल में ही हुआ।

पी.एम. मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी

- याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है
- अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई। है। अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरणचन्द्र सेन की याचिका पर दिया। याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी आरडी रस्तोगी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने पैरवी की। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी रस्तोगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है।

वहीं देश में बनने वाला कोई भी कानून गृह मंत्री, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। कानून संसद की ओर से बनाया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी और दोनों मंत्रियों पर आरोप लगाना गलत है। इसके अलावा याचिकाकर्ता स्वयं संसद में मौजूद नहीं था तो मिलीभगत का आरोप कैसे लगा सकता है। वहीं नागरिकता अधिनियम में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। याचिकाकर्ता ने कानून का दुरुपयोग किया है। ऐसे में उसकी याचिका को भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, वह संबंधित निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए निचली अदालत ने परिवाद को खारिज कर कोई गलती नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर फैसला बाद में देना तय किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद-15 के विपरीत है। इस संशोधन के कारण मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। देशभर में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा है। संशोधन के बाद देशभर में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने या तो एफआईआर दर्ज नहीं की या फिर आधी-अधूरी की है। इसके अलावा निचली अदालत ने भी मामले में दायर परिवाद को खारिज कर कानून की त्रुटि की है।

शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन आज

जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने संघ के सक्रिय पदाधिकारियों की आपात बैठक में लिया विरोध प्रदर्शन का निर्णय। राज्य सरकार बार-बार बजट में मंत्रालयिक कर्मचारी के हितों के लिए घोषणाएँ करके उन्हें लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ द्वारा समय-समय पर इस हेतु सरकार को अवगत कराया है, महासंघ एकीकृत भी सरकार से कई बार वार्ता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया है। सरकार की वाजिब मांगों के प्रति अनदेखी कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा और वादा खिलाफी है। इसी कड़ी में संघ के सचिव कृष्णेन्दु चटर्जी ने बताया की आज दिनांक 23 सितंबर को जलदाय विभाग में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालयिक कर्मचारी की प्रमुख मांग सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे- 4200 कर तदनुसार अन्य पदों का उन्नयन, मंत्रालयिक कर्मचारी का कैडर रिव्यू, एसीपी में देय 9,18,27 वर्ष के लाभ को 8,16,24,32 वर्ष देना सहित।